न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 15 / 2021

जीसीएमएस : 2021 / 40

1. जीवन सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति मजबी निवासी 5 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थी

बनाम

1. देव सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति मजबी निवासी 5 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. बिन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह जाति मजबी निवासी 5 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. दिशो पुत्री प्यारा सिंह पत्नी गुरमीत सिंह जाति मजबी निवासी मांगेजी तहसील करतारपुर जिला जलन्धर पंजाब
4. सोमादेवी पुत्री प्यारासिंह पत्नी सरवणसिंह जाति मजबी निवासी 13 केएनडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
5. सिमरजीतकौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी राजसिंह जाति मजबी निवासी 15 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
6. मनजीत कौर पुत्री प्यारा सिंह पत्नी रेशम सिंह जाति मजबी निवासी 12 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. बलविन्द्र कौर पत्नी काला सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति मजबी निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
8. कलवन्तसिंह पुत्र काला सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति मजबी निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
9. जसवन्त सिंह पुत्र काला सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति मजबी निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
10. रणजीत सिंह पुत्र काला सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति मजबी निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
11. कुलजीत कौर पुत्री काला सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति मजबी निवासी 15 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
13. दारा सिंह पुत्र बिन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी 5 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र भादू, वकील प्रार्थी
2. श्री दिनेश जोशी, वकील अप्रार्थी सं. 13
3. श्री राजेश धारणियां, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 8, 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested

– निर्णय –

दिनांक : 06.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है :–

1. प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक 5 एमके तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 50 / 45 प.नं. 137 / 286 मु.नं. 56 में 0.422है. बारानी भूमि व प.नं. 138 / 284 में 1.835है. बारानी भूमि व प.नं. 140 / 284 में 2.257है. नहरी, मय गै.मु.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

रास्ता कुल 4.105है. नहरी बारानी मय गै.मु.रास्ता प्रार्थी के पिता प्यारासिंह पुत्र साधूसिंह जाति मजबी के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्यारासिंह का देहान्त हो चुका हैं, माता चनो का भी देहान्त हो चुका हैं। इसके अलावा प्रार्थी के हकीकी भाई पप्पू सिंह भी ला वल्द फौत हो चुके हैं तथा प्रार्थी के भाई काला सिंह का भी देहान्त हो चुका हैं जिनके अप्रार्थी सं. 7 ता 11 जायज व कानूनी वारिस हैं। प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी की बहनों अप्रार्थी सं. 3 ता 6 द्वारा उक्त भूमि में अपने विरासतन हक को मौखिख रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अलावा उनके हकीकी भाई मृतक काला सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर छोड़ दिया इस प्रकार विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं. 7 ता 11 के पति व पिता कालासिंह का बहिस्सा बराबर बराबर 1/4–1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा 1/4 हिस्सा के अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमि में कुल 1.026है. भूमि प्राप्त हुई जिस भूमि का प्रार्थी अपने आपको खातेदार घोषित करवाने का भूमि की किश्म के अनुसार भूमि विभाजन करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा कालासिंह के वारिसान अप्रार्थी सं. 7 ता 11 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

भूमि रिकार्ड में अभी भी प्रार्थी के पिता के नाम हैं जिस बात का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 2 के पुत्र दारासिंह द्वारा मेरे पिता के नाम का फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाकर इस भूमि को अकेले हडप करने की फिराक में हैं तथा उक्त भूमि की खड़ी फसल पर कब्जा करने पर आमदा है इसलिए प्रार्थी अपने आपको उक्त भूमि का खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी हैं। यही वादकारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध हासिल हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अपने हिस्सा एवं कब्जा अनुसार विवादित भूमि का रिकार्ड में अमलदरामद करवाने व विभाजन करवाने के लिए अलग अलग रूप से उनके निवास स्थान पर जाकर निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने समय का अभाव बतलाकर तथा अप्रार्थी सं. 7 ता 11 ने अन्य कार्यों में व्यस्तता का बहाना बनाकर ऐसा करने इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी सं. 2 के पुत्र दारासिंह ने दिनांक 07.02.2021 को उक्त भूमि पर अपना कब्जा करने की धमकी दी जो यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद हैं। बिनाय दावा प्रार्थी को उक्त भूमि पैतृक होने व उक्त भूमि में प्रार्थी का अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त कब्जा होने के रोज से प्राप्त हैं।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का पूर्ण रूप से सिद्ध है कि उक्त तमाम भूमि रिकार्ड में अभी भी प्रार्थी के पिता के नाम से है जिस पर प्रार्थी संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा वर्तमान में फसल रबी संयुक्त रूप से काश्त हैं इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी पूर्ण रूप से सिद्ध हैं। अगर अप्रार्थी अपने इस [illegible] दा में कामयाब होकर विवादित भूमि को किसी भी प्रकार से [illegible] इससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा [illegible] उसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया हैं कि वे विवादित भूमि पर दौराने वाद प्रार्थी के संयुक्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे उक्त भमि में प्रार्थी का पैदायशी हक समाप्त होता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 13 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के आधार पर पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 9 का जवाब बंद किया जा चुका हैं।

अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 8, 10, 11 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने अपना अपना विरास्तन हक की भूमि कभी भी प्रार्थी या किसी अन्य के पक्ष में नहीं छोड़ा बल्कि विरास्तन अधिकार व हक प्राप्ति के रोज से ही अप्रार्थीगण अपने अपने विरास्तन हक व हिस्सा की भूमि पर साधिकार निरन्तर व लगातार अब तक काबिज काश्त चली आ रही हैं और राजस्व अभिलेखों में अपने अपने विरास्तन हक व अधिकार अनुसार अमलदरामद करवा पाने की कानूनन अधिकारी हैं। मृतक प्यारासिंह के सभी संतानों का विवादित रकबा पर विरास्तन हक व अधिकार प्राप्त होकर विरास्तन हक व अधिकार निहित होने के रोज से साधिकार काबिज काश्त अपने अपने हिस्सा पर चले आ रहे है और तदनुसार अप्रार्थीगण ने अपने अपने हिस्सा पर चले आ रहे और अपने अपने विरास्तन हक की भूमि पर खरीफ की फसल बिजान कर रखी हैं। अप्रार्थी सं. 13 जो कि अप्रार्थी सं. 2 का पुत्र है ने विवादित रकबा हडपने के लिए फर्जी कूटरचित वसीयत बनाकर अस व वैध दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाई गई है, जिस अपराधिक कृत्य के लिए अलग से कार्यवाही प्रस्तावित हैं। अप्रार्थी दारासिंह मृतक प्यारासिंह का वसीयतन उतराधिकारी नहीं है न ही कभी काबिज काश्त रहा ना ही वर्तमान में दारासिंह का कब्जा काश्त विवादित रकबा के किसी भाग पर है। चूकि अप्रार्थी सं. 13 दारा सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राशनकार्ड में दारासिंह मृतक प्यारासिंह का पुत्र होना साबित हैं। मगर संलग्न तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत में दारा सिंह का मृतक प्यारासिंह का पोत्र होना दर्ज हैं। अप्रार्थीगण विवादित रकबा पर अपने अपने विरास्तन हक व अधिकारों को घोषित करवा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवा पाने के विधिक अधिकार का अनुतोष पाने की कानूनन अधिकारी होने से कांउटर क्लेम पेश किया हैं। मृतक प्यारा सिंह निर्ववसीयती फौत होने से उनके सभी संतान का कब्जा काश्त विवादित रकबा पर चला आ रहा है, जिन विरास्तन अधिकारों व तदनुसार संयुक्त कब्जा काश्त से कभी भी अप्रार्थीगण ने इन्कार नहीं किया हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिनये प्रार्थना पत्र बिनाय मुखास्मत हासिल नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण के विरास्तन हक व अधिकारन निरन्तर व लगातार हैं और अपने अपने अधिकार अनुसार विवादित रकबा पर काश्त चली आ रही हैं और मौका पर फसल बीजी हुई खडी हैं। इस[illegible] को ना पूरा होने वाला नुकसान व अपूर्णीय क्षति होने का [illegible] है न ही क्लीनहैण्ड से न्यायालय में आया है। [illegible] परेशान करने व बेजा नुकसान पंहुचाने के आशय से झूठे तथ्यों पर प्रकरण पेश [illegible] हैं जो काबिल निरस्ती के है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 2 व 13 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्यारा सिंह को श्रीमान् जिला कलैक्टर के आदेश दिनांक 27.09.1995 के तहत सनद सं. 71010 चक 5

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 37 प.नं. 138/284 की 1.835है. बारानी, मु.नं. 56 प.नं. 137/286 की 0.422है. बारानी व मु.नं. 39 प.नं. 140/284 की 1.831है. नहरी व 0.017है. गै. मु. रास्ता माफी भूमि इस प्रकार कुल 4.105है. नहरी व बारानी मय गै.मु. रास्ता आवंटित होकर खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के पिता/दादा की स्वअर्जित सम्पति हैं जिसके सन्दर्भ में समस्त प्रकार के हक एवं अधिकार प्रार्थी के पिता को अपने जीवनकाल में प्राप्त थे और उसकी के अनुरूप प्रार्थी पिता/दादा ने वर्णित कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 15.07.2020 को रूबरू गवाहान प्रार्थी के पुत्र/प्रार्थी दारासिंह के हक में की थी। प्यारासिंह दारा सिंह के साथ ही निवास करते रहे। अप्रार्थी सं. 1 ता 11 को उपरोक्त वर्णित भूमि के सन्दर्भ में किसी किस्म का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 ता 11 द्वारा प्यारा सिंह की उनके जीवनकाल में किसी किस्म की कोई देखाभाल नही की। मृत्यु पश्चात लालचवश भूमि के सन्दर्भ में आपस में दूरभिसन्धि कर वर्णित वाद के माध्यम से भूमि को विवादित घोषित कर अनावश्यक रूप से उस पर कब्जा करना चाहते हैं। दारा सिंह ने अपने दादा प्यारा सिंह की उनके जीवनकाल में पूरी सार सम्भाल एवं सेवा निस्वार्थ भावना से की, जिससे प्रसन्न होकर प्यारा सिंह ने अपनी स्वअर्जित सम्पति को रूबरू गवाहान दिनांक 15.07.2020 को दारा सिंह के नाम वसीयत कर दी। प्यारा सिंह का देहान्त 21.11.2020 को हो गया। उप पंजीयक मुकलावा के समक्ष वसीयत दिनांक 15.07.2020 के आधार पर भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करने हेतु दिनांक 16.12.2020 को लिखित आवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 3 ता 11 द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार से रंजिश रखी जाने लगी और रंजिश के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कृषि भूमि में घुसकर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.11.2021 को प्रार्थी के व प्रार्थी की पत्नी, प्रार्थी के पुत्र, प्रार्थी की पुत्रवधु के साथ गम्भीर मारपीट की, जिसका मुकदमा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना मुकलावा में दर्ज हुआ और एफआईआर सं. 158/2021 दर्ज हुई जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्ध अ0 धारा 307,427,447,323,341,147,149 भा.द.सं. में चालान प्रस्तुत हुआ, जिसमें आज भी कई मुल्जिम जेल में बन्द है, और प्रकरण में कार्यवाही जैरकार हैं। प्यारा सिंह दारा सिंह के साथ निवास करते थे, पारिवारिक राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दारा के साथ बने हुए है, प्यारा सिंह ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र जीवनसिंह को अपनी तमाम चल अचल सम्पति से बेदखल कर दिया था और इसकी सूचना अखबार में भी प्रकाशित करवाई थी, इसी कारण जीवन सिंह परिवार से रंजिश रखने लगा और प्यारा सिंह की मृत्यु के पश्चात इसी रंजिश को [illegible] सं. 1, 3 ता 11 के साथ दुरभिसन्धि कर झूठा मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत कि[illegible] आदेश भी प्राप्त कर लिया। विवादित भूमि में [illegible] झूठा कथन वादी ने उल्लेखित किया है, इस कारण प्रानि पत्र खारिज के लायक [illegible] अप्रार्थीगण को वसीयत की जानकारी थी। वादी ने दिनांक 07.02.2021 को भूमि के सन्दर्भ में इन्कारी का कथन झूठा वाद हेतुक प्रकट करने की कोशिश की है, जो गलत होने के कारण अस्वीकार हैं। प्रार्थी के हक में ना तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है ना ही सुविधा का सन्तुलन बनता हैं। भूमि पर वर्षों से दारा सिंह का कब्जा काश्त निरन्तर, निर्बाध चला आ रहा है। इस सूरत में अपूर्णीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

क्षति का सामना प्रार्थी के पुत्र को करनापड रहा हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने तथा प्रकरण में जारी व्यादेश दिनांक 10.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील पक्षकारान की सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से रिकार्ड दर्ज हैं। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी हैं। जिसमें प्रार्थी का विरास्तन हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद प्रार्थी की बहनों अप्रार्थी सं. 3 ता 6 द्वारा उक्त भूमि में अपने विरास्तन हक को मौखिख रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अलावा उनके हकीकी भाई मृतक काला सिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर छोड़ दिया इस प्रकार विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं. 7 ता 11 के पति व पिता कालासिंह का बहिस्सा बराबर बराबर 1/4–1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा 1/4 हिस्सा के अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमि में कुल 1.026है. भूमि प्राप्त हुई जिस भूमिं का प्रार्थी अपने आपको खातेदार घोषित करवा भूमि विभाजन करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज हैं। दारासिंह फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाकर इस भूमि को अकेले हडप करने की फिराक में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने के लिए निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 13 अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि प्यारा सिंह की स्वअर्जित भूमि थी, जिसकी वसीयत प्यारासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से अप्रार्थी सं. 13 के पक्ष में गवाहान की उपस्थिति में निष्पादित करवा दी थी। जिसके वे विधिक अधिकारी थे। प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह गया हैं। प्यारा सिंह प्रार्थी व उसके पिता अप्रार्थी सं. 2 के साथ रहते थे। जिस सेवा से खुश होकर वसीयत करवाई थी। अप्रार्थीगण रंजिशवश जबरन भूमि में घुसकर प्रार्थी के परिवार के साथ मारपीट की। जिसका मुदकमा दर्ज करवाया गया एवं प्रकरण जैरकार हैं। प्रार्थी सद्भावी नहीं, प्रार्थी को वसीयत की पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को नाहक परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 8, 10, 11 अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को कभी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं [illegible] अपने हिस्सा की भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधि[illegible] हैं। [illegible] अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज हैं। प्रार्थना पत्र ख[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि प्रस्तुत दस्तावेज प्रति राजस्व रिकार्ड अनुसार प्यारा सिंह पुत्र साधू सिंह के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में अपने विरास्तन अधिकारों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया हैं। अप्रार्थी सं. 13 द्वारा निवेदन किया गया हैं कि प्यारासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि की वसीयत अप्रार्थी सं. 13 के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

एवं अन्य अप्रार्थीगण का भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रह जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 13 के तथ्यों की पुष्टि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा की गयी हैं। अप्रार्थी सं. 1,3ता8,10,11 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्यारासिंह के नाम की भूमि में अप्रार्थीगण का विरास्तन हिस्सा हैं जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उनके द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को कभी किसी के पक्ष में त्याग नहीं किया गया हैं। विवादित भूमि रिकार्ड में प्यारा सिंह के नाम से दर्ज हैं। विवादित भूमि के पैतृक सम्पति होने अथवा स्वअर्जित सम्पति होने तथा भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हिस्सा का विनिश्चिय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हैं। उभयपक्ष द्वारा भूमि पर अपना अपना कब्जा होने का कथन किया हैं लेकिन वे कब्जा को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2021 को विवादित भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा तक की भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये गये थे। यदि उक्त व्यादेश को निरस्त कर दिया जाता हैं तो भूमि के विरास्तन नामान्तरकरण होने अथवा वसीयत के आधार पर अप्रार्थी सं. 13 के नाम से भूमि दर्ज हो जाने के कारण मुकदमाबाजी बढ़ने तथा किसी अन्य को हस्तांतरित कर देने के कारण प्रकरण में निस्तारण में उलझाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की मत में उचित हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत रहे।

–:: आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता हैं तथा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि चक 5 एमके तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 50/45 प.नं. 137/286 मु.नं. 56 में 0.422है. बारानी भूमि व प.नं. 138/284 मु.नं. 37 में 1.835है. बारानी भूमि व प.नं. 140/284 मु.नं. 39 में 1.831है. नहरी 0.017है. गै.मु.रास्ता कुल 4.105है. नहरी बारानी मय गै.मु.रास्ता भूमि पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:40:00 IST
Reason: SelfAttested